न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 30/ 2025

विजय सिंह पुत्र राजपालसिह जाति राजपूत उम्र साल निवासी ढाणी शिशुवाला तन काली पहाडी तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू (राज.)।

—अपीलान्ट—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)।

—रेस्पोडेन्ट—

अपील अ. धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियाम 1956 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 22.08.2023 न्यायालय तहसीलदार, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं प्रकरण संख्या 59/2023 उनवानी सरकार बनाम विजय सिंह पुत्र राजपालसिह अ0 धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956।

उपस्थितिः—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत, एडवोकेट..........................अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता..........रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 30.04.2026

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पपुरना के द्वारा एक रिपोर्ट दिनांकित 01.08.2023 ग्राम काली पहाडी स्थित राजकीय भूमि ख.न. 4092/3871, 3969/3871 किस्म गैर मुमकिन पहाड रकबा 0.12 हैक्टर, 0.16 हैक्टर में से रकबा 0.01 हैक्टर पर अपीलाण्ट विजय सिंह पुत्र राजपालसिह के द्वारा अनाधिकृत रूप से पत्थरों का पारा लगाकर व बाजरा काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है की गई जिस पर नायब तहसीलदार खेतडी द्वारा प्रार्थी के नाम नोटिस अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दिनांक 17.08.2023 को न्यायालय में उपस्थित होने का दिया जिसकी तामील अपीलाण्ट के नागालैण्ड गये हुए होने कारण उस पर असालतन तामील नहीं हुई जिससे अपीलण्ट तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने कारण उसकी तरफ से कोई जबाब व सबूत भी प्रस्तुत नहीं हो सका जिस पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.08.2023 को अपीलाण्ट गैर सायल के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाकर बेदखल किये जाने तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

Scanned with CamScanner

सरह लगान 01 रूपये का 50 गुणा 50.00 रूप्ये तावान कायम कर वसूल करने का आदेश दिया है। आदेश योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतडी कानून तथ्यों के विपरित है जो निरस्त किये जाने योग्य है।अपीलाण्ट के द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है अपीलांट के विरूद्ध पटवारी हल्का ने निराधार गलत रिपोर्ट पेश की है। अपीलाण्ट को गलत नोटिस जारी किया गया है। भूमि ख0न0 3969/3871 क्षेत्रफल 0.16 हैक्टर ग्राम काली पहाडी पर कदीम से मेरे पिता राजपाल सिंह पुत्र नत्थुसिंह राजपूत निवासी ढाणी शिशुवाला तन काली पहाडी काबिज चले आ रहे है, काश्त करते है। बाजरें की फसल उन्होने ही काश्त की है। उनको ही नोटिस जारी करने चाहिए थे नोटिस का जबाब व सबूत वे ही पेश कर सकते थे। पूर्व में उनको दिये गये नोटिसों का जबाब व सबूत पेश कर दिये गये थे। इसलिए अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि पर राजपाल सिंह पुत्र नत्थुसिंह राजपूत निवासी ढाणी शिशुवाला तन काली पहाडी कदीम से काबिज चले आ रहे है। पटवारी हल्का द्वारा गलत रूप से संवत 2080 में अपीलाण्ट द्वारा कब्जा किया जाना अंकित किया गया है। पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का तथा तहसीलदार खेतडी ने दिनाक 23.10. 2023 को अपीलाण्ट के पिता व माता के नाम दर्ज कृषि भूमि ख0न0 3707 ग्राम काली पहाडी का 1/2 हिस्सा व ख0न0 3724 सम्पूर्ण ग्राम काली पहाडी की खातेदारी की कृ षि भूमि की सुरक्षा हेतु लगी पत्थरों की 6–6 फुट उची दीवार को जे सी बी लगाकर तोड दिया जबकि आगे पीछे के अन्य खातेदारों की दीवार को नही तोडा गया है जिससे अपीलाण्ट की चनों की फसल बर्बाद हो गई तथा वहां रखी कडबी नष्ट हो गई अपीलाण्ट को एक लाख रूपये से अधिक का नुकसान हो गया अपीलाण्ट ने तहसील में जाकर जानकारी करने पर उक्त आदेश की दिनांक 30.10.2023 को जानकारी होने पर दिनांक 30.10.2023 को प्रार्थना पत्र नकल प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 31. 10.2023 को आदेश नकल प्राप्त होने पर अपील अवधि में प्रस्तुत है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 22.08.2023 योग्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार खेतडी मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजकर तामील की गई। मिसल मातहत तलब की जाकर बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का पपुरना के द्वारा एक रिपोर्ट दिनांकित 01.08.2023 ग्राम काली पहाडी स्थित राजकीय भूमि ख.न. 4092/3871, 3969/3871 किस्म गैर मुमकिन पहाड रकबा 0.12 हैक्टर, 0.16 हैक्टर में से रकबा 0.01 हैक्टर पर अपीलाण्ट विजय सिंह पुत्र राजपालसिह के द्वारा अनाधिकृत रूप से पत्थरों का पारा लगाकर व बाजरा काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है की गई जिस पर नायब तहसीलदार खेतडी द्वारा प्रार्थी के नाम नोटिस अन्तर्गत राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनू

Scanned with CamScanner

दिनांक 17.08.2023 को न्यायालय में उपस्थित होने का दिया जिसकी तामील अपीलाण्ट के नागालैण्ड गये हुए होने कारण उस पर असालतन तामील नहीं हुई जिससे अपीलाण्ट तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने कारण उसकी तरफ से कोई जबाब व सबूत भी प्रस्तुत नहीं हो सका जिस पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.08.2023 को अपीलाण्ट गैर सायल के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाकर बेदखल किये जाने तथा सरह लगान 01 रूपये का 50 गुणा 50.00 रूप्ये तावान कायम कर वसूल करने का आदेश दिया है। आदेश योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतडी कानून तथ्यों के विपरित है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट के द्वारा किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है अपीलांट के विरूद्ध पटवारी हल्का ने निराधार गलत रिपोर्ट पेश की है। अपीलाण्ट को गलत नोटिस जारी किया गया है। भूमि ख0न0 3969/3871 क्षेत्रफल 0.16 हैक्टर ग्राम काली पहाडी पर कदीम से मेरे पिता राजपाल सिंह पुत्र नत्थुसिंह राजपूत निवासी ढाणी शिशुवाला तन काली पहाडी काबिज चले आ रहे है, काश्त करते है। बाजरें की फसल उन्होने ही काश्त की है।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित भूमि राजकीय है जिसकी किस्म गैर मुमकिन पहाड़ है। तथा अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत कार्यवाही की है। अपीलांट द्वारा न तो अदालत मातहत तथा न ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रकरण में विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतडी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2023 मुकदमा संख्या 59/2023 उनवानी सरकार बनाम विजय सिंह पुत्र राजपालसिंह सिंह अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मिसल अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार खेतड़ी को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनूं

Scanned with CamScanner